कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक (फार्म),हल्दी

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर
जिला–ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

विश्वविद्यालय फार्म के कृषि भंण्डार हल्दी में उपलब्ध लगभग 2500 कुन्तल गेहुं (व्यवसायिक) एवं लाही (व्यवसायिक) 300 कुन्तल को निविदा के माध्यम विक्रय किये जाने हेतु निविदा :–

निविदा प्रपत्र

निविदा संख्या....................... : निविदा शुल्क रू 2000.00 प्रति निविदा+18%जी0एस0टी0

निविदा फार्म मुख्यालय से प्राप्त करने की तिथि व समय : दिनांक 04.08.2025 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से

निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि : दिनांक 18.08.2025 को अपरान्ह् 1.00 बजे तक

निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथि व समय : दिनांक 19.08.2025 को अपरान्ह् 1.00 बजे तक

निविदा खोलने की तिथि व समय : दिनांक 19.08.2025 को अपरान्ह् 3.00 बजे

विश्वविद्यालय फार्म के कृषि भंण्डार में उपलब्ध विक्रय किये जाने वाले कृषि जिन्स का विवरण –

क्र0 सं0	कृषि जिन्सों का विवरण	अनुमानित मात्रा (कुन्तल)	दर प्रति कुन्तल
1	2	3	4
1.	गेहुं (व्यवसायिक)	2500	
2.	लाही (व्यवसायिक)	300	

मैंने निविदा की शर्तो का अध्ययन कर लिया है व सभी शर्तें मान्य है। धरोहर धनराशि रू .... बैंक ड्राफ्ट सं0................................. दिनांक.................................... के द्वारा जमा कर दिया है जो इस निविदा के साथ संलग्न है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

ड्राफ्ट सं0 ....
दिनांक..
धनराशि रू...

निविदादाता के हस्ताक्षर..
पूरा नाम/पिता का नाम ....
ग्राम व पो0...
तह0.................................जनपद..
पिन.......................................दूरभाष...................................
मोबाइल नं0...
पैन नम्बर .... आधार नं0............................
बैंक का नाम एवं शाखा ....
बैंक खाता संख्या ....

निविदा जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

निविदादाता के हस्ताक्षर

विश्वविद्यालय फार्म के कृषि भंण्डार हल्दी में उपलब्ध लगभग 2500 कुन्तल गेहुं (व्यवसायिक) एवं लाही (व्यवसायिक) 300 कुन्तल को निविदा के माध्यम विक्रय किये जाने हेतु–

निविदा की शर्तें

1. निविदादाता को निविदायें दिनांक 19.08.2025 को अपरान्ह् 1.00 बजे तक फार्म मुख्यालय हल्दी में रक्षित पेटी में जमा करनी होगी। जो उसी दिन सांय 3.00 बजे समिति द्वारा खोली जायेगी। डाक व अन्य माध्यम से प्राप्त होने वाली निविदाओं हेतु विश्वविद्यालय फार्म उत्तरदायी नही होगा। इच्छुक निविदादाता स्वंय अथवा अपना प्रतिनिधि निविदा खोलने के समय उपस्थित हो सकते हैं।
2. गेहूँ व्यवसायिक एवं लाही व्यवसायिक हेतु दरें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम स्वीकार्य नही होगीं।
3. निविदा देने के पश्चात् माल की गुणवत्ता आदि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत पर विचार नही किया जायेगा।
4. निविदा प्रपत्र एवं शर्ते फार्म मुख्यालय हल्दी से किसी भी कार्य दिवस में रू 2000.00+18% जी.एस.टी. जमा कर प्राप्त की जा सकती है अथवा विश्वविद्यालय की वेबसाईड www.gbpuat.ac.in से डाउनलोड की जा सकती है। जिस हेतु निविदा प्रपत्र के साथ रू 2000.00+जी.एस.टी. का बैंक ड्राफ्ट जो विश्वविद्यालय फार्म लेखा हल्दी के नाम देय हो संलग्न करना होगा।
5. सफल निविदादाता को सामाग्री उठाने से पूर्व जी.एस.टी एवं अन्य कर जो देय होंगे, का भुगतान सम्बन्धित विभाग में जमा कर उसकी रसीद फार्म कार्यालय में जमा करनी होगी तथा विक्रय की गयी सामाग्री की पूर्ण धनराशि एक मुश्त फार्म कार्यालय में जमा करने के उपरान्त ही सामाग्री को उठाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. निविदा के साथ गेहुं (व्यवसायिक) हेतु धरोहर धनराशि रू 1,50,000.00 (एक लाख पचास हजार रूपये) एवं लाही (व्यवसायिक) हेतु धरोहर धनराशि रू 50,000.00 (पचास हजार रूपये मात्र) वापसी योग्य का बैंक ड्राफ्ट एवं एफ0डी0आर0 जो विश्वविद्यालय फार्म खाता के नाम भारतीय स्टेट बैंक हल्दी/पन्तनगर/यूको बैंक हल्दी/पन्तनगर/नैनीताल बैंक नगला में (विश्वविद्यालय फार्म खाता) देय हो जमा करना आवश्यक होगा। बिना पर्याप्त धरोहर राशि के कोई भी निविदा मान्य नहीं होगी।
7. सफल निविदादाता द्वारा क्रय किये गये कृषि जिन्सों को 02 सप्ताह के अन्दर उठाना सुनिश्चित किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में रू 1.00 (एक रूपये मात्र) प्रति कुन्तल प्रति दिन की दर से भंण्डार कर जमा किया जाना होगा।
8. यदि सम्बन्धित निविदादाता द्वारा क्रय किये गये कृषि जिन्सों को 01 माह के भीतर उठाना सुनिश्चित नही करता है तो उसके द्वारा जमा की गयी सुरक्षा धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं उसके विरुद्ध क्षतिपूर्ति हेतु विधिक कार्यवाही की जायेगी एवं इसके साथ ही काली सूची में डाले जाने की कार्यवाही की जायेगी।साथ ही निविदा को निरस्त करते हुये पुनः निविदा आमंत्रित की जाने की कार्यवाही की जायेगी।
9. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार कुलपति महोदय को निहित होगा। किसी तरह के विवाद पर अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार कुलपति जी को होगा। जो दोनों पक्षों को मान्य होगा। इसका न्याय क्षेत्र जिला–ऊधम सिंह नगर में निहित होगा।
10. सम्बन्धित निविदादाता को अपना बैंक खाता, पेन नं0 एवं आधार कार्ड नं0, जी0एस0टी0 नं0 का निविदा में उल्लेख करते हुए छायाप्रति भी प्रस्तुत करनी होगी।
11. उपरोक्त कार्य पर किसी भी प्रकार का टैक्स/स्टाम्प ड्यूटी आदि राज्य एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू होगा, उसके भुगतान की पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।
12. निविदादाता द्वारा क्रय किये जाने वाले कृषि जिन्सों (गेहूँ व्यवसायिक एवं लाही व्यवसायिक) की दर को स्पष्ट रूप से दर्शानी होगी।
13. सफल निविदादाता द्वारा भंण्डार से माल निकालने तथा यातायात का प्रबन्ध स्वंय करना होगा।
14. इच्छुक निविदादाता निविदा देने से पूर्व सामाग्री को सम्बन्धित अधिकारी की अनुमति के उपरान्त किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 9.30 बजे से सांय 5.00 बजे तक निरीक्षण कर सकता है।
15. विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय फार्म में कार्यरत कोई भी अधिकारी/कर्मचारी अथवा उनके परिवार का कोई भी सदस्य निविदा में भाग नही ले सकता है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी शर्तें (क्रमशः 01 से 15 तक) पढ़ ली गयी है तथा वह मान्य है।

मुख्य महाप्रबन्धक, फार्म

निविदादाता के हस्ताक्षर